अनुदान संख्या 80 - ग्रामीण विकास विभाग
GRANT No. 80–DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	106648,83,00		122505,30,00	111362,38,06	–11142,91,94
पूरक	Supplementary	15856,47,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					11139,37,01
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	1,25,00		7,29,00	7,24,41	–4,59
पूरक	Supplementary	6,04,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (1114291.94 लाख रु.) दिसंबर, 2009 और मार्च, 2010 में प्राप्त किए गए 1585647.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 70 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 9 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.1114291.94 lakhs) constituted 70 percent of the supplementary grants of Rs.1585647.00 lakhs obtained in December, 2009 and March, 2010 and 9 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2216" आवास	Major Head "2216" Housing				
मू.	O.	791800.00	1408000.00	1407990.32	–9.68
पू.	S.	397200.00			
पु.	R.	219000.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2501" ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	Major Head "2501" Special Programmes for Rural Development				
मू.	O.	211275.00			
पू.	S.	1.00	222272.00	222082.97	–189.03
पु.	R.	10996.00			
मुख्य शीर्ष "2505" ग्रामीण रोजगार	Major Head "2505" Rural Employment				
मू.	O.	7820000.00			
पू.	S.	1173000.00	7880875.99	7880762.69	–113.30
पु.	R.	–1112124.01			
मुख्य शीर्ष "2515" अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	Major Head "2515" Other Rural Development Programmes				
मू.	O.	39840.00			
पू.	S.	463.00	55892.00	55871.16	–20.84
पु.	R.	15589.00			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	222200.00			
पू.	S.	1500.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–223700.00			
मुख्य शीर्ष "3054" सड़क तथा सेतु	Major Head "3054" Roads and Bridges				
मू.	O.	1577613.00			
			1552313.00	1552304.84	–8.16
पु.	R.	–25300.00			

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष मुख्य शीर्ष ''3601'' राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Head Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments					
पू.	S.	13350.00		14850.00	14850.00	. .
पु.	R.	1500.00				

(I) 226536.50 लाख रु. का प्रावधान तेरह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 226400.00 लाख रु. निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of Rs.226536.50 lakhs remained wholly unutilised under thirteen heads; of these Rs.226400.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2515'' - ''अन्य व्यय - ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुख-सुविधाओं का प्रावधान'' - 2700.00 लाख रु. व्यय वित्त समिति/मंत्रिमंडल से अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण थे।

(A) Major Head "2515" – "Other Expenditure – Provision of Urban Amenities in Rural Areas (PURA)" – Rs.2700.00 lakhs – due to non-receipt of approval from Expenditure Finance Committee/Cabinet.

(खा) मुख्य शीर्ष ''2552'' -

(B) Major Head "2552" –

(क) ''स्वरोजगार कार्यक्रम - स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना - जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों/अन्य अभिकरणों को सहायता'' - 23600.00 लाख रु.;

(a) "Self Employment Programme – Swaranjayanti Gram Swarozgar Yojana - Assistance to District Rural Development Agencies/ Other Agencies" – Rs.23600.00 lakhs;

(ख) ''अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम - प्रशिक्षण - राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान को अनुदान'' - 150.00 लाख रु.;

(b) "Other Rural Development Programme - Training – Grants to National Institute of Rural Development" – Rs.150.00 lakhs;

(ग) ''अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम - अन्य व्यय'' -

(c) "Other Rural Development Programme - Other Expenditure" –

(i) ''ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुख सुविधाओं के लिए प्रावधान'' - 300.00 लाख रु.;

(i) "Provision for Urban Amenities in Rural Areas (PURA)" – Rs.300.00 lakhs;

(ii) ''ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को प्रबंधन सहायता और जिला आयोजना प्रक्रिया का सुदृढ़ीकरण'' - 750.00 लाख रु.;

(iii) ''बीपीएल सर्वेक्षण'' - 1500.00 लाख रु. का पूरक अनुदान;

(घ) ''ग्रामीण आवास - इंदिरा आवास योजना - जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों/अन्य अभिकरणों को सहायता'' - 88200.00 लाख रु.;

(ङ) ''अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम - जिला ग्रामीण विकास अभिकरण प्रशासन - जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों/अन्य अभिकरणों को सहायता'' - 2500.00 लाख रु.; और

(च) ''जिला और अन्य सड़कें - प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना - जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों/अन्य कार्यान्वयन अभिकरणों आदि को सहायता'' - 106700.00 लाख रु.।

उपर्युक्त आठ शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष ''2515'' - ''अन्य व्यय - बीपीएल सर्वेक्षण'' के अंतर्गत 135.00 लाख रु. की निधियां पूरक अनुदान प्राप्त करके उपलब्ध कराई गई थीं, तथापि, जो कार्यान्वयन अभिकरणों को कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण 14.84 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहीं।

(III) मुख्य शीर्ष ''2501'' - ''स्वरोजगार कार्यक्रम - स्वर्णजयंती स्वरोजगार योजना'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''प्रशिक्षण, सम्मेलन आदि'' - 300.03 लाख रु. की बचत (1500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रशिक्षण कार्यकलापों को आयोजित करने के लिए कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(ii) "Management Support to Rural Development Programmes and strengthening District Planning Process" – Rs.750.00 lakhs;

(iii) "BPL Survey" – supplementary grant of Rs.1500.00 lakhs;

(d) "Rural Housing - Indira Awaas Yojana - Assistance to District Rural Development Agencies/Other Agencies'- Rs.88200.00 lakhs;

(e) "Other Rural Development Programme - DRDA Administration - Assistance to District Rural Development Agencies/ Other Agencies" – Rs.2500.00 lakhs; and

(f) "District and Other Roads - Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana - Assistance to District Rural Development Agencies/ Other Executing Agencies etc." – Rs.106700.00 lakhs.

Provisions under the above eight heads remained unutilised due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim

(II) Under Major Head "2515" – "Other Expenditure – BPL Survey" – funds of Rs.135.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant which, however, remained unutilised to the extent of Rs.14.84 lakhs – due to requirement of less funds by implementing agencies.

(III) Under Major Head "2501" – "Self Employment Programme – Swaranjayanti Swarozgar Yojana" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Training, Conferences etc." – saving of Rs.300.03 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1500.00 lakhs) was due to receipt of less proposals for conducting training activities

(खा) ''विपणन'' - 447.80 लाख रु. की बचत (1000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)ग्रामीण विकास पवेलियन का कम क्रियाशील होने और सरस मेलों के आयोजन के लिए कार्पाट से पर्याप्त दावे प्राप्त न होने के कारण हुई।

(B) "Marketing" – saving of Rs.447.80 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs) was due to less functioning of Rural Development Pavilion and non-receipt of adequate claims from CAPART for organisation of SARAS fairs.

(गा) ''डीएफआईडी सहायता - आंध्रप्रदेश में जनजातीय समुदायों के धारणीय विकास के लिए गिरि प्रगति'' - 165.00 लाख रु. की बचत (950.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(C) "DFID Assistance – Giri Pragati for sustainable development of tribal communities in Andhra Pradesh" – saving of Rs.165.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.950.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from the State Governments.

(IV) मुख्य शीर्ष ''2505'' - ''ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(IV) Under Major Head "2505" – "Rural Employment Guarantee Scheme" – savings occurred under the following heads:-

(का) ''राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम'' -

(A) "National Rural Employment Guarantee Scheme" –

(क) ''जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों/जिला कार्यक्रम समन्वयक और अन्य को सहायता'' - 427201.41 लाख रु. की बचत (3777862.50 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों के पास पिछले वर्षों का अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।

(a) "Assistance to District Rural Development Agencies/District Programme Coordinators and Others" – saving of Rs.427201.41 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3777862.50 lakhs) was due to availability of unspent balances of previous years with the State Governments.

(ख) ''क्षमता निर्माण एवं तकनीकी सहायता'' - 129163.56 लाख रु. की बचत (130000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता संबंधी कम प्रस्ताव प्राप्त होने और व्यय वित्त समिति ज्ञापन को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(b) "Capacity Building and Technical Support" – saving of Rs.129163.56 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.130000.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from State Governments towards capacity buildings and technical support and non-finalisation of Expenditure Finance Committee memo.

(खा) ''आरक्षित निधि को अंतरण - राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी निधि को अंतरण'' - 556062.01 लाख रु. की बचत (3910000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों के पास पिछले वर्षों का अव्ययित शेष उपलब्ध होने और राज्य सरकारों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(B) "Transfer to Reserve Fund - Transfer to National Rural Employment Guarantee Fund" – saving of Rs.556062.01 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3910000.00 lakhs) was due to availability of unspent balances of previous years with the State Governments and receipt of less proposals from State Governments.

(V) मुख्य शीर्ष ''3054'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''जिला और अन्य सड़कें - प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना'' -

(क) ''राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से लिए गए कर्ज पर ब्याज के वितरण के लिए एनआरआरडीए को सहायता'' - 3400.00 लाख रु. की बचत (95800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ख) ''ईएपी संघटक'' - 54000.02 लाख रु. की बचत (135000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) ''सामान्य - आरक्षित निधि को अंतरण - केंद्रीय सड़क निधि को अंतरण'' - 66000.00 लाख रु. की बचत (484313.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें डीजल उपकर का कम संग्रहण किए जाने और संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुईं।

(VI) एक शीर्ष के अंतर्गत 99.73 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 18 प्रतिशत थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (149350.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 1570202.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2216'' - ''ग्रमीण आवास'' -

(क) ''इंदिरा आवास योजना - सूचना, शिक्षा और संचार'' - 300.00 लाख रु.।

(ख) ''आरक्षित निधि को अंतरण - राष्ट्रीय निवेश निधि को अंतरण'' - 130800.00 लाख रु.।

(V) Under Major Head "3054" – savings occurred under the following heads:-

(A) "District and Other Roads – Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana" –

(a) "Assistance to NRRDA for disbursement of interest on Loan raised from NABARD" – saving of Rs.3400.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.95800.00 lakhs);

(b) "EAP Component" – saving of Rs.54000.02 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.135000.00 lakhs); and

(B) "General – Transfer to Reserve Fund - Transfer to Central Roads Fund" – saving of Rs.66000.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.484313.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to collection of less diesel cess and reduction of provision at revised estimates stage.

(VI) Under one head saving of Rs.99.73 lakhs occurred constituting 18 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (Rs.149350.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.1570202.00 lakhs under the following major heads:-

(A) Major Head "2216" – "Rural Housing" –

(a) "Indira Awaas Yojana - Information, Education and Communication" – Rs.300.00 lakhs.

(b) "Transfer to Reserve Fund - Transfer to National Investment Fund" – Rs.130800.00 lakhs.

(खा) मुख्य शीर्ष ''2501'' - ''स्वरोजगार कार्यक्रम - स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना - सूचना, शिक्षा और संचार'' - 300.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 111.22 लाख रु. था।

(गा) मुख्य शीर्ष ''2505'' - ''ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम - राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम - सूचना, शिक्षा और संचार'' - 300.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 294.85 लाख रु.था।

(घा) मुख्य शीर्ष ''2515'' -

(क) ''प्रशिक्षण - राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान को अनुदान'' - 1650.00 लाख रु.।

(ख) ''जिला ग्रामीण विकास अभिकरण प्रशासन - जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों/अन्य अभिकरणों को अनुदान'' - 16000.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 15998.99 लाख रु. था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2216'' - ''ग्रामीण आवास - इंदिरा आवास योजना - जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों/अन्य अभिकरणों को सहायता'' - 88051.02 लाख रु. का अधिक व्यय (791270.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(खा) मुख्य शीर्ष ''2501'' - ''स्वरोजगार कार्यक्रम - स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना - जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों और अन्य को सहायता'' - 11642.51 लाख रु. का अधिक व्यय (207554.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(गा) मुख्य शीर्ष ''2515'' - ''अन्य व्यय - ग्रामीण विकास कार्यक्रम को प्रबंधन सहायता और जिला आयोजना प्रक्रिया का सुदृढ़ीकरण'' - 647.00 लाख रु. का अधिक व्यय (6750.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(B) Major Head "2501" – "Self Employment Programme – Swaranjayanti Gram Swarozgar Yojana - Information, Education and Communication" – Rs.300.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.111.22 lakhs.

(C) Major Head "2505" – "Rural Employment Guarantee Scheme – National Rural Employment Guarantee Scheme - Information, Education and Communication" – Rs.300.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.294.85 lakhs.

(D) Major Head "2515" –

(a) "Training - Grants to National Institute of Rural Development" – Rs.1650.00 lakhs.

(b) "DRDA Administration - Grants to District Rural Development Agencies/Other Agencies" – Rs.16000.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.15998.99 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2216" – "Rural Housing – Indira Awaas Yojana - Assistance to District Rural Development Agencies/Other Agencies" – excess of Rs.88051.02 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.791270.00 lakhs);

(B) Major Head "2501" – "Self Employment Programme – Swaranjayanti Gram Swarozgar Yojana - Assistance to District Rural Development Agencies and Others" – excess of Rs.11642.51 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.207554.00 lakhs);

(C) Major Head "2515" – "Other Expenditure - Management Support to Rural Development Programme and Strengthening district Planning Process" – excess of Rs.647.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6750.00 lakhs);

(घा) मुख्य शीर्ष "3054" - "जिला और अन्य सड़कें - प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना - जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों/ अन्य कार्यान्वयन अभिकरणों को सहायता" - 98100.00 लाख रु. का अधिक व्यय (860910.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ङ) मुख्य शीर्ष "3601" - "केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम - बीपीएल सर्वेक्षण" - 1500.00 लाख रु. का अधिक व्यय (13350.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

3. *राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधिः-*

इस निधि की स्थापना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के प्रयोजन के लिए अधिसूचना द्वारा केंद्र सरकार द्वारा यथा निर्धारित की गई शर्तों और सीमाओं के अनुसार उपयोग करने के लिए की गई थी। इस निधि में अनुदानों या कर्जों के माध्यम से ऐसी धनराशि जिसे केंद्र सरकार आवश्यक समझे संसद द्वारा इस संबंध में कानून द्वारा उपयुक्त विनियोग करके जमा की जाती है।

वर्ष 2009-10 के लिए निधि का लेखा निम्नानुसार था:-

(D) Major Head "3054" – "District and Other Roads – Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana - Assistance to District Rural Development Agencies/Other Executing Agencies etc." – excess of Rs.98100.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.860910.00 lakhs); and

(E) Major Head "3601" – "Grants for Central Plan Schemes – Other Rural Development Programmes - BPL Survey"– excess of Rs.1500.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.13350.00 lakhs).

Excess under the above five heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North-Eastern Region and Sikkim.

3. *National Employment Guarantee Fund:-*

The Fund was established by notification for the purpose of the National Rural Employment Guarantee Act, 2005 to be utilised in such manner and subject to such conditions and limitations as may be prescribed by the Central Government. The Fund is credited by way of grants or loans such sums of money as the Central Government may consider necessary, after due appropriation made by Parliament by law in this behalf.

The Account of the Fund for 2009-10 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	शून्य Nil
प्राप्तियां	Receipts	33539,37,99
अदायगियां	Payments	33539,37,99
अंतशेष	Closing Balance	शून्य Nil